

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) जल मय/पूव्य के निर्माण की स्वीकृति स्थापित सिद्ध नहीं करती है ।
  - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्ति, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
  - (iii) मयन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगा ।
  - (iv) स्वीकृत नमूने के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**प्रकल सिडनी केवल असाक्षीय प्रयोजनाधी**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 804 दिनांक 10/12/2020

राष्ट्रीय असीमि सवरी प्रजो की काष्ठशम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

मयन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रूपसे 35706 रु जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4520, 4521/2020 दिनांक 09/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.O. = कुव्हारी का बास सरदारपुरा, जोधपुर

9/10/12/2020

सहायक नगर निर्माजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी+1  
असाक्षीय

*[Signature]*

9530184989